रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2001/ज्येष्ठ 17, 1923

No. 289] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2001/JYAISTHA 17, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा पेंशन सुधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2001

सा.का.नि. 415(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन), नियमावली, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है ; नामतः

(1) इन नियमों का नाम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियमावली, 2001 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 में --- नियम 19 में, उप-नियम (2) की धारा (ख) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :--

"(ख) किसी कंपनी द्वारा निर्गमित प्रत्येक वर्ग अथवा प्रकार की प्रतिभूतियों का कम से कम 10 प्रतिशत समाचार पत्रों में 2 दिन से अन्यून अवधि के लिए विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक अभिदान के लिए प्रस्ताव किया गया था और यह कि ऐसे प्रस्ताव के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों को निम्नांकित शर्तों के अन्तर्गत आवंटन किया गया था :

(क) न्यूनतम 20 लाख प्रतिभूतियों (आरक्षणों, सुनिश्चित आवंटन तथा प्रवर्तकों अंशदान को छोड़कर) की सार्वजनिक पेशकश की गई थी ;

(ख) सार्वजनिक पेशकश का आकार अर्थात् पेशकश मूल्य गुणा सार्वजनिक पेशकश की गई प्रतिभूतियों की संख्या न्यूनतम 100 करोड़ रुपए थी ; और

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अर्ह संस्थागत क्रेताओं को निर्गम आकार के 60 प्रतिशत आवंटन सहित निर्गम केवल बही निर्माण प्रक्रिया के द्वारा ही किया गया था :

परन्तु यह कि अगर कोई कंपनी शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, तो यह प्रत्येक वर्ग अथवा प्रकार की प्रतिभूतियों के न्यूनतम 25 प्रतिशत के सार्वजनिक अभिदान की पेशकश समाचार पत्रों में दो दिनों से अन्यून अवधि के लिए विज्ञापन के माध्यम से करेगी और यह कि ऐसी पेशकश के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों को आवंटन किया गया था :

परन्तु यह कि कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्वानुमोदन से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत किसी सरकारी कंपनी की बाबत तथा ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड इस निमित्त समय-समय पर जारी करें, इस अपेक्षा से छूट दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सूचीबद्ध किये जाने वाली प्रतिभूतियों को केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार की विकास या निवेश एजेंसी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम और इसकी अनुषंगी अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरयंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा ले लिया गया है या लिए जाने का करार है, इन प्रतिभूतियों को कुल अभिदान चाहे वह एक या एक से अधिक निकाय द्वारा हों, जनता को पेशकश की जाने वाली प्रतिभूतियों के 10 प्रतिशत या 25 प्रतिशत का, जैसा भी मामला हो, भाग नहीं होगा ।"

[फा. सं. 1/42/एस.ई./99]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, पृष्ठ 619 दिनांक 21.2.1957 में प्रकाशित एसआरओ सं.576 दिनांक 21.2.1957 के तहत जारी की गई थी तथा इसे तदुपरांत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) दिनांक 22.7.1967 में प्रकाशित दिनांक 14.7.1967 की संशोधन अधिसूचना सा.का.नि.1096, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) दिनांक 10.6.1972, पृष्ठ 1556 में प्रकाशित सा.का.नि.685 दिनांक 3.6.1972, दिनांक 12.8.1972 से सा.का.नि.959, दिनांक 8.8.1972, दिनांक 8.11.1975 से सा.का.नि. 2641, दिनांक 1.11.1975, दिनांक 23.11.1985 से सा.का.नि.1083, दिनांक 11.11.1985, सा.का.नि. 1070(अ.), दिनांक 15.11.1988, सा.का.नि. 666(अ.) दिनांक 20.7.1987, सा.का.नि.870(अ.) दिनांक 13.11.1992, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड

3, उप-खंड (i) दिनांक 20.9.1993 में प्रकाशित सा.का.नि.617(अ.) दिनांक 20.9.1993, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.749(अ.) दिनांक 2.10.1994, सा.का.नि.790 (अ.) दिनांक 7.11.1994, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 9.3.1995 में प्रकाशित, सा.का.नि.121(अ.) दिनांक 9.3.1995, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 27.3.1995 में प्रकाशित, सा.का.नि.291(अ.) दिनांक 27.3.1995, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) दिनांक 23.12.1996 में प्रकाशित, सा.का.नि.581 (अ.) दिनांक 23.12.1996, सा.का.नि.654(अ.) दिनांक 8.8.2000, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) और सा.का.नि.655(अ) दिनांक 8.8.2000, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(CAPITAL MARKETS, EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS AND PENSION REFORMS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2001

G.S.R. 415(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Securities Contracts(Regulation) Rules, 1957 namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts(Regulation) Amendment Rules, 2001.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities Contracts(Regulation) Rules, 1957, in rule 19, sub-rule(2), for the clause (b), the following shall be substituted, namely :-

"(b) At least 10% of each class or kind of securities issued by a company was offered to the public for subscription through advertisement in newspapers for a period not less than two days and that applications received in pursuance of such offer were allotted subject to the following conditions:

(a) minimum 20 lakh securities (excluding reservations, firm allotment and promoters contribution) was offered to the public;
(b) the size of the offer to the public i.e. the offer price multiplied by the number of securities offered to the public was minimum Rs. 100 crores; and
(c) the issue was made only through book building method with allocation of 60% of the issue size to the qualified institutional buyers as specified by the Securities and Exchange Board of India:

Provided that if a company does not fulfil the conditions, it shall offer at least 25% of each class or kind of securities to the public for subscription through advertisement in newspapers for a period not less than two days and that applications received in pursuance of such offer were allotted:

Provided further that a recognised stock exchange may relax any of the conditions with the previous approval of the Securities and Exchange Board of India, in respect of a Government Company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and subject to such instructions as that Board may issue in this behalf from time to time.

Explanation: For the purpose of this clause, it is hereby clarified that where any part of the securities sought to be listed have been or are agreed to be taken up by the Central Government, a State Government, development or investment agency of a State Government, Industrial Development Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, Life Insurance Corporation of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, namely, the National Insurance Company Limited, the New India Assurance Company Limited, the Oriental Fire and General Insurance Company Limited and the United Fire and General Insurance Company Limited or Unit Trust of India, the total subscription to the securities, whether by one or more of such bodies, shall not form part of the ten per cent or twenty five per cent of the securities, as the case may be, to be offered to the public."

[F. No. 1/42/SE/99]

DR. J. BHAGWATI, Jt. Secy.

Note: The Principal Notification was issued under SRO No. 576 dated 21.2.1957 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, page 619 dated 21.2.1957 and was subsequently amended by the amendment Notification GSR 1096 dated 14.7.1967 published in the Gazette of India II, Part II section 3, sub section (i) w.e.f. 22.7.1967, GSR 685 dated 3.6.1972 published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 10.6.1972 page 1556, GSR 959, dated 8.8.1972 w.e.f. 12.8.1972, GSR 2641 dated 1.11.1975 w.e.f. 8.11.1975, GSR 1083 dated 11.11.1985 w.e.f. 23.11.1985, GSR 1070(E) dated 15.11.1988, GSR 666(E) dated 20.7.1987, GSR 870(E) dated 13.11.1992, GSR 617 (E) dated 20.9.1993 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 20.9.1993, GSR 749(E) dated 12.10.1994, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub section (i), GSR 790(E) dated 7.11.1994, GSR 121(E) dated 9.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 9.3.1995, GSR 291(E) dated 27.3.1995, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i), GSR 581(E) dated 23.12.1996 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub section (i) w.e.f. 23.12.1996, GSR No. 654(E) dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) and GSR No. 655(E) dated 8.8.2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.